सूचना का अधिकार

सूचना विवरण पुस्तिका

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

उत्तराखण्ड सरकार

मैनुअल– 08

(01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक)

निदेशालय

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

ननूरखेड़ा(तपोवन)देहरादून।

वेबसाइट–www.schooleducation.uk.gov.in

ई.मेल-ua.elementary@yahoo.in

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून
"निदेशक का कार्यकाल"

क्र0सं	नाम	अवधि कब से कब तक
1.	श्री अनिल कुमार नेगी (प्रभारी)	01.11.2011 से 04.03.2012
2.	श्री अनिल कुमार नेगी	05.03.2012 से 15.10.2013
3.	श्री राकेश कुमार कुँवर	16.10.2013 से 05.01.2015
4.	श्रीमती सीमा जौनसारी	06.01.2015 से 17.05.2017
5.	श्री राकेश कुमार कुँवर	18.05.2017 से 18.07.2021
6.	श्री रामकृष्ण उनियाल	19.07.2021 से 07.01.2022
7.	श्रीमती बन्दना गर्ब्याल	08.01.2022 से 27.06.2023
8	श्री रामकृष्ण उनियाल	28.06.2023 से 31.01.2025
9	श्री अजय कुमार नौडियाल	01.02.2025 से 28.02.2026
10	श्रीमती कंचन देवराडी (प्रभारी)	02.03.2026 से 30.04.2026
11	डा0 मुकुल कुमार सती (प्रभारी)	01.05.2026 से 30.06.2026
12	श्री कुँवर सिंह रावत (प्रभारी)	01.07.2026 से अविरल

प्रेषक,

निदेशक
अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

01. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
02. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
03. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर।
04. अपर निदेशक, महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
05. अपर निदेशक, एस॰सी॰ई॰आर॰टी॰, सीमैट, माध्यमिक शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
06. अपर राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड।
07. संयुक्त निदेशक, पी॰एम॰पोषण उत्तराखण्ड।
08. मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।
09. श्री सी॰पी॰रतूड़ी, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, रूद्रप्रयाग।
10. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) देहरादून।
11. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) हरिद्वार।
12. समस्त संयुक्त निदेशक एवं उप निदेशक, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा/एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड।
13. श्री पंकज शर्मा, उप निदेशक/नोडल अधिकारी, मा0 शिक्षा उत्तराखण्ड।
14. श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, उप निदेशक/नोडल अधिकारी, प्रा0 शिक्षा उत्तराखण्ड।
15. डॉ॰ सुरेन्द्र सिंह नेगी, खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारीखाल, पौड़ी।
16. उप शिक्षा अधिकारी कालसी, देहरादून।
17. डॉ॰ के.एन बिजलवाण, सहायक निदेशक, एस॰सी॰ई॰आर॰टी॰ उत्तराखण्ड।
18. डॉ॰ मोहन सिंह विष्ट, प्रोफेशनल, सीमैट।
19. श्री आर0पी0 बडोनी, प्रवक्ता, एस॰सी॰ई॰आर॰टी॰ उत्तराखण्ड।
20. श्री एम.एम.जोशी, सलाहकार, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
21. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
22. एम0आई0एस0 प्रभारी, महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
23. श्री विनोद पयाल, प्रधान सहायक, निदेशालय प्रा0शि0 उत्तराखण्ड।
24. श्री अंशुमन खण्डूरी, कनिष्ठ सहायक, निदेशालय मा0शि0 उत्तराखण्ड।

पत्रांक :/विविध/ 1809-35 /iGOT/2025-26 दिनांक 29 जनवरी 2026

विषयः– **मिशन कर्मयोगी परियोजनान्तर्गत क्षमता निर्माण इकाई (CBU) की बैठक के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय आदेश संख्या/IGOT/227/विविध/2025-26 दिनांक 24 जनवरी 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मिशन कर्मयोगी परियोजनान्तर्गत कैपसिटी बिल्डिंग प्लान Capicity Bulding Plan (CBP) विकसित किये जाने व उसके क्रियान्वयन हेतु विभागीय स्तर पर महानिदेशक विद्यालयी

Scanned with OKEN Scanner

शिक्षा उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में क्षमता निर्माण इकाई (CBU) का गठन किया गया है, जिसमें आपको सदस्य नामित किया गया है। महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में **दिनांक–02 फरवरी 2026 को प्रातः 10:30 बजे से एस॰सी॰ई॰आर॰टी॰ उत्तराखण्ड, देहरादून के सभागार में क्षमता निर्माण इकाई (CBU) की बैठक आहूत की गयी है।**

अतः उक्त बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

भवदीय

29/01/2026

(बन्दना गर्ब्याल)
निदेशक,
अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण
उत्तराखण्ड, देहरादून

पृ०सं० / विविध / 1809-35 / iGOT / 2025–26 दिनांक–उक्तवत्।

प्रतिलिपि–

01. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
02. अपर निदेशक, एस॰सी॰ई॰आर॰टी॰ उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त बैठक हेतु जलपान एवं आवश्यक व्यवस्थायें पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

निदेशक,
अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण
उत्तराखण्ड, देहरादून

Scanned with OKEN Scanner

ई पत्रावली– 78846
बैठक सूचना/महत्वपूर्ण
संख्या: 61 /XXIV-A-2/2026–35/2020 TC

प्रेषक,

पूरन गिरि
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक: 19 जनवरी, 2026

विषयः सी0एम0 हैल्पलाईन 1905 पोर्टल पर दर्ज शिकायतों/संदर्भों के निस्तारण हेतु मा0 मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आहूत बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्यो0 अनुभाग–01 उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या:–362805/CM-Portal/1905/2025-XXXIV-1(E-33329) दिनांक–17 जनवरी, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि सी0एम0 हैल्पलाईन 1905 पोर्टल पर दर्ज शिकायतों/संदर्भों के निस्तारण के सम्बन्ध में <u>दिनांक 21 जनवरी, 2026 को सायं 4:00 बजे</u> सचिवालय परिसर स्थित विश्वकर्मा भवन के पंचम तल स्थित वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली सभागार में **मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता** में बैठक निर्धारित की गयी है।

तद्क्रम में उक्त पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सी0एम0 हैल्पलाईन 1905 पोर्टल पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित लंबित संदर्भो/प्रकरणों/शिकायतों के वास्तविक निस्तारण की सूचना तथा दिनांक–03.10.2025 को सम्पन्न समीक्षा बैठक (कार्यवृत्त संख्या–339175, दिनांक–17.10.2025) में प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अनुरूप की गयी कार्यवाही की अद्यतन सूचना सहित उक्त बैठक में ससमय नियत स्थान पर स्वयं प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

Digitally signed by
Pooran Giri
Date: 19-01-2026
13:08:50

भवदीय,

(पूरन गिरि)
उप सचिव।

<u>संख्याः— /XXIV-A-2/2026–35/2020 TC</u>

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, अपर सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को अपर सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

(पूरन गिरि)
उप सचिव।

›. BES2-8/115/14/2024-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 78845)
ated from eOffice by BINOD CHANDRA TIWARI, SO- BASIC EDUCATION SECTION 2 -BCT, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 19/01/2026 01:18 pm

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय : महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून

आदेश संख्याः iGOT / २२७ /विविध/2025–26/ दिनांक –२५ जनवरी 2026

:: कार्यालय आदेश ::

डॉ आर.एस.टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी नैनीताल के पत्र संख्या 3082/IV–53 (2025) दिनांक 26 दिसम्बर 2025 के क्रम में दिनांक 05 व 06 जनवरी, 2026 को पं0 दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र (CTRFA) देहरादून में आयोजित कार्याशाला में दिये गये निर्देशों के क्रम में मिशन कर्मयोगी परियोजनान्तर्गत कैपसिटी बिल्डिंग प्लान Capicity Bulding Plan (CBP) विकसित किये जाने व उसके क्रियान्वयन हेतु विभागीय स्तर पर क्षमता निर्माण इकाई (CBU) का निम्न विवरणानुसार निर्धारण किया जाता है :–

क्र॰सं॰	पदनाम	दायित्व
01	महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।	अध्यक्ष
02	निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड।	सदस्य सचिव
03	निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।	सदस्य
04	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।	सदस्य
05	सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर।	सदस्य
06	अपर निदेशक, महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।	सदस्य
07	अपर निदेशक, एस॰सी॰ई॰आर॰टी॰, सीमैट, माध्यमिक शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।	सदस्य
08	अपर राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड।	सदस्य
09	संयुक्त निदेशक, पी॰एम॰पोषण उत्तराखण्ड।	सदस्य
10	मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।	सदस्य
11	श्री सी॰पी॰रतूड़ी, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, रूद्रप्रयाग।	सदस्य
12	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) देहरादून।	सदस्य
13	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) हरिद्वार।	सदस्य
14	समस्त संयुक्त निदेशक एवं उप निदेशक, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा/एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड।	सदस्य
15	श्री पंकज शर्मा, उप निदेशक/नोडल अधिकारी, मा0 शिक्षा उत्तराखण्ड।	सदस्य

16	श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, उप निदेशक/नोडल अधिकारी, प्रा0 शिक्षा उत्तराखण्ड।	सदस्य
17	डॉ॰ सुरेन्द्र सिंह नेगी, खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारीखाल, पौड़ी।	सदस्य
18	उप शिक्षा अधिकारी कालसी, देहरादून।	सदस्य
19	डॉ॰ के.एन बिजलवाण, सहायक निदेशक, एस॰सी॰ई॰आर॰टी॰ उत्तराखण्ड।	सदस्य
20	डॉ॰ मोहन सिंह विष्ट, प्रोफेशनल, सीमैट।	सदस्य
21	श्री आर0पी0 बडोनी, प्रवक्ता, एस॰सी॰ई॰आर॰टी॰ उत्तराखण्ड।	सदस्य
22	श्री एम.एम.जोशी, सलाहकार, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।	सदस्य
23	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा।	सदस्य
24	एम0आई0एस0 प्रभारी महानिदेशालय।	सदस्य
25	श्री विनोद पयाल, प्रधान सहायक	सदस्य
26	श्री अंशुमन खण्डूरी, कनिष्ठ सहायक	सदस्य

2– मिशन कर्मयोगी के अन्तर्गत क्षमता निर्माण इकाई (CBU) के कार्यदायित्व निम्नवत् होंगे :–

1. iGOT पोर्टल पर समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का अनिवार्य पंजीकरण कराना।
2. विभागीय क्षमता निर्माण इकाई (CBU) प्रशिक्षण, योग्यता विकास और क्षमता निर्माण योजना से संबंधित समस्त गतिविधियों के लिए विभाग के नोडल निकाय के रूप में कार्य करेगी।
3. राज्य की प्राथमिकताओं के अनुरूप विभाग की क्षमता निर्माण की तैयारी, पोर्टल प्रबन्धन, क्रियान्वयन, निगरानी और निरन्तर समीक्षा का कार्य।
4. विभाग के समस्त कर्मचारियों के iGOT कर्मयोगी प्लेटफार्म पर प्रशिक्षण और प्रशिक्षण की देख–रेख का कार्य और ऑनलाईन पाठ्यक्रमों को समय से पूर्ण कराना तथा ऑफलाईन कार्यशालाओं/प्रशिक्षणों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कराना।
5. समय–समय पर आवश्यक सहायता के लिए ए.टी.आई. नैनीताल व राज्य क्षमता निर्माण इकाई के साथ समन्वय स्थापित करना।
6. कैपसिटी बिल्डिंग प्लान पर निगरानी रखने और परिचालन संबंधी किसी भी बाधा को दूर करने के लिए नियमित रूप से बैठकें आयोजित करना।
7. समग्र निगरानी और समन्वय के लिए राज्य क्षमता निर्माण इकाई को मासिक रिर्पोट प्रस्तुत करना।
8. क्षमता निर्माण से संबंधित दिशा–निर्देशों का पालन करना और उन्हें लागू करना, ताकि मिशन कर्मयोगी के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।
9. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए विभिन्न भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों का निर्धारण करते हुए उनके स्तरों के अनुसार प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करना और प्रशिक्षण योजनाएं बनाना।
10. अधिकारी व कर्मचारियों की क्षमता और प्रशिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन करना।

11. मिशन कर्मयोगी की मानक संचालन प्रक्रिया में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना।
12. उक्त के अतिरिक्त मिशन कर्मयोगी से सम्बन्धी अन्य समस्त कार्य।

(दीप्ति सिंह)
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ.सं./iGOT/4052-61 /विविध/2025–26/ दिनांक –उक्तवत्।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

01. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
02. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड।
03. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
04. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
05. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर।
06. अपर निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी०, सीमैट, माध्यमिक शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
07. अपर राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड।
08. संयुक्त निदेशक, पी०एम०पोषण उत्तराखण्ड।
09. समस्त सम्बन्धित को उक्तानुसार अनुपालनार्थ।
10. कार्यालय प्रति।

महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड